पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से अब उपभोक्ता बन रहे बिजली उत्पादक

- पहले महीने दो हजार से अधिक का बिजली बिल हुआ 10 रुपये, दूसरे महीने 93 यूनिट दिया बिजली विभाग को, बिल आया माइनस में-श्री जय नारायण चौधरी
- योजना से लगा सोलर सिस्टम जुड़ेगा बिजली विभाग के ग्रिड से
- हर माह 300 यूनिट तक बिजली होगी मुफ्त
- सोलर सिस्टम लगाने शासन से मिलेगी सब्सिडी

रायगढ़

अब बिजली उपभोक्ता अपने घर की छतों से बिजली बनाकर उसे बेच सकेंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के माध्यम से यह संभव होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करना है। इस योजना के तहत, सरकार सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में सब्सिडी जमा करेगी। साथ ही, उन्हें सस्ती दरों पर बैंक लोन भी मिलेगा। इस योजना से लोगों के बिजली के बिल कम होंगे और उनकी बचत बढ़ेगी। यह स्थायी ऊर्जा समाधान और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश में पीएम सूर्यघर योजना को व्यापक स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए है।

इस योजना से जुड़कर लाभार्थी अपने घर की छतों पर सोलर सिस्टम लगाकर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। उनका यह सिस्टम बिजली विभाग की ग्रिड से जुड़ा होगा। उत्पादित बिजली से खपत के बाद जो बिजली बचेगी वह ग्रिड में ट्रांसफर हो जाएगी। जो बिजली बिल में समायोजित हो जाएगी। इससे उतनी राशि बिजली बिल से घट जाएगी और उपभोक्ता को सीधे आर्थिक बचत के रूप में लाभ मिलेगा। इस योजना से हितग्राही सिर्फ बिजली के उपभोक्ता ही नहीं बल्कि उसके उत्पादक भी हो जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए अपने नजदीक के बिजली ऑफिस में संपर्क किया जा सकता है।

पहले महीने दो हजार से अधिक का बिजली बिल हुआ 10 रूपये, दूसरे महीने 93 यूनिट दिया बिजली विभाग को, बिल आया माइनस में-श्री जय नारायण चौधरी

रायगढ़ जिले में कोड़ातराई को सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां के निवासी हैं जय नारायण चौधरी। उन्होंने जनवरी माह में अपने घर पर 3 किलो वाट का सोलर सिस्टम लगवाया है। इसमें उन्हें 1.90 लाख का खर्च आया। जिसमें से 78 हजार रुपए शासन से सब्सिडी मिली, जो कि 15 दिनों में ही खाते में आ गई। उन्होंने बताया कि पहले उनका औसतन बिल 2 से 2.5 हजार रुपए हर माह आता था। सिस्टम लगाने के बाद पहले महीने उनका बिल सिर्फ 10 रुपए आया। वहीं दूसरे महीने फरवरी में उनके सोलर सिस्टम से करीब 325 यूनिट बिजली पैदा हुई, जिसमें से उनकी खपत 232 यूनिट रही। सोलर सिस्टम से उत्पादित शेष 93 यूनिट बिजली विभाग के ग्रिड में चला गया और उनका बिजली का बिल माइनस में आया, क्योंकि उनकी जितनी खपत थी उतनी बिजली सोलर सिस्टम से ही पैदा कर दी और जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हुआ उसे विभाग को दे दिया। इसका अर्थ यह है कि मार्च में सोलर सिस्टम से बनने वाली बिजली के साथ पूर्व में उत्पादित और बिजली विभाग के ग्रिड में स्टोर्ड 93 यूनिट बिजली उनके लिए अतिरिक्त मुफ्त होगी। इस प्रकार से सोलर सिस्टम वाले उपभोक्ता का खपत यूनिट और उत्पादित यूनिट का आपस में समायोजन ऑटोमैटिक होता है। जो बिजली उपभोक्ता बिजली विभाग के ग्रिड में ट्रांसफर करते हैं वे उसका उपयोग बाद में अपनी जरूरत के अनुसार मुफ्त में कर सकेंगे।

ऐसे ले सकते हैं मुफ्त बिजली

यदि घरेलू उपभोक्ता का प्रतिमाह औसत खपत 300 यूनिट है तब उर्जा प्रभार, नियत प्रभार, ड्यूटी, सेस तथा वी सी ए, सब मिलाकर कुल 2160 रू प्रतिमाह बिजली बिल बनता है अर्थात एक वर्ष का कूल औसत खपत 3600 यूनिट मान कर चले तो एक वर्ष का कुल बिजली बिल 25,920 रू के लगभग आयेगा। परन्तु यदि उपभोक्ता ने 3 किलो व्हाट का सोलर सिस्टम स्थापित कर लिया तो प्रति किलोवॉट, प्रतिदिन औसत 4 यूनिट उत्पादन के आधार पर सोलर सिस्टम से 3 किलोवॉट की क्षमता पर प्रतिदिन 12 यूनिट के आधार पर प्रतिमाह 360 यूनिट उत्पादन होगी। बारिश के मौसम में थोड़े कम उत्पादन को समायोजित करते हुए औसत उत्पादन को न्यूनतम मान कर 300 यूनिट प्रतिमाह मानते हैं तो एक वर्ष का उत्पादन 3600 यूनिट हो जाएगा। जिसमें दिन भर में उपभोक्ता के खपत के अतिरिक्त यूनिट सीधा आटोमेटिक बिजली विभाग के ग्रिड में एक्सपोर्ट हो जाएगा तथा रात में उसके द्वारा की जाने वाली खपत पर आटोमेटिक समायोजन हो जाएगा। अर्थात एक वर्ष के आपके खपत को बढ़ते क्रम में तथा प्रतिवर्ष बिजली बिल की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आपके खपत यूनिट 3600 को आपके उत्पादन यूनिट 3600 को बराबर मान लिया जाये तो आपकी वार्षिक बिजली बिल की लागत राशि 25,920 रू लगभग शून्य हो जाएगी। यदि खपत 300 यूनिट से अधिक है तो भी प्रति माह औसतन 300 यूनिट का उत्पादन कर उतनी बिजली उपभोक्ता मुफ्त में प्राप्त कर सकता है।

सोलर सिस्टम की न्यूनतम लाइफ 25 साल, मेंटनेंस में कोई अतिरिक्त खर्च नहीं, सिर्फ हर 15 दिनों में सोलर प्लेट के सफाई की जरूरत

उपभोक्ता के वास्तविक लागत 1 लाख 7 हजार रू की वसूली उपरोक्त खपत के आधार पर लगभग 4.5 वर्ष में समायोजित हो जाएगी तथा सोलर सिस्टम के लाईफ सायकल को न्यूनतम 25 साल मानते हुए। 20.5 वर्षों तक आप बिजली बिल की राशि को बचत करते हुए लाभ प्राप्त कर सकते है। सोलर सिस्टम में केवल सोलर प्लेट को 15 दिवस की अन्तराल में साफ करना होता है।

शासन से मिलती है सब्सिडी

प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना में शासन की ओर से सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। इसमें 1 किलो व्हाट पर 30 हजार, 2 किलो व्हाट पर 60 हजार, 3 किलो व्हाट पर 78 हजार, 3 किलो व्हाट या उससे अधिक क्षमता पर 78 हजार की सब्सिडी स्थिर रहेगी। योजना का लाभ लेने के लिए बैंक से आसान लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। एसबीआई बैंक में 3 किलो व्हाट क्षमता हेतु कुल लागत की 90 प्रतिशत राशि लोन स्वीकृत हो जाएगी। जिस पर वार्षिक 6.75 प्रतिशत का ब्याज दर है। ग्रामीण बैंक में 3 किलो व्हाट क्षमता हेतु कुल लागत की 90 प्रतिशत राशि लोन स्वीकृत जिस पर वार्षिक 8.75 प्रतिशत ब्याज दर है। 3 किलो व्हाट सिंगल फेस सोलर सिस्टम की लागत 1.85 लाख से 2 लाख रूपये है। जिस पर 0.78 लाख की सब्सिडी अर्थात आपको वास्तविक लागत 1.07 लाख रूपये आयेगी। सब्सिडी की राशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लगभग 15 से 20 दिनों के भीतर सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा हो जायेगी।

महत्वपूर्ण एवं खास

एसीबी-ईओडब्ल्यू के छापमार कार्यवाई के बीच डीएफओ सस्पेंड

सुकमा-रायपुर (आरएनएस)। जिले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने फॉरेस्ट कर्मियों और तेंदूपत्ता प्रबंधकों के घर छापामार कार्रवाई के बाद डीएफओ अशोक पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। ज्ञात हो कि एसीबी और ईडब्ल्यू की टीम ने सुकमा, दोरनापाल, कोंटा समेत कुल 4 जगहों के 8 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। एक दिन पहले पूर्व एमएलए मनीष कुंजाम समेत अन्य तेंदूपत्ता प्रबंधकों के कुल 12 ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी। बताया जा रहा है कि तेंदूपत्ता बोनस राशि में हुए भ्रष्टाचार मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रखी है। वहीं इसी मामले में डीएफओ अशोक पटेल सस्पेंड हुए हैं।

ऑपरेशन साइबर शील्ड, 3 एजेंट-ब्रोकर चढ़े पुलिस के हत्थे

रायपुर (आरएनएस)। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा साइबर क्राईम पोर्टल में रिपोर्टेड म्यूल बैंक अकाउंट की जांच करने हेतु योजना तैयार कर म्यूल अकाउंट खोलने में शामिल खाता धारक/संवर्धक/ब्रोकर-एजेंट/बैंक अधिकारी/सिम सप्लायर सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु रेंज साइबर थाना रायपुर को निर्देशित किया गया है। थाना सिविल लाइन रायपुर के अपराध क्रमांक 129/25 धारा 317(2), 317(4), 317(5), 111, 3(5) बी एन एस में निर्देशों का पालन कर कार्यवाही करते हुए, पूर्व में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ एवं तकनीकी विश्लेषण से खाता खुलवाने, साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने, रकम को इधर-उधर करने में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के द्वारा बैंक खातों को खुद ऑपरेट किया जाता था तथा ठगी की रकम को इधर उधर किया जाता था। आरोपियों द्वारा अत्यधिक मात्रा में ठगी की रकम प्राप्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

गिरफ्तार आरोपी : 1 भूपेन्द्र सिंह धुना उर्फ कैप्टन सिंह पिता बलबीर सिंह, 2 निखिल आहूजा पिता सुरेष कुमार आहूजा, 3 संजय जसवानी पिता नंदीराम जसवानी।

कृष्णा स्टील प्लांट में हुई चोरी का खुलासा, पूंजीपथरा पुलिस ने एक आरोपी को को किया गिरफ्तार

- चोरी का माल बरामद

रायगढ़

कृष्णा स्टील प्लांट में चोरी के मामले में पूंजीपथरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। प्लांट से महंगे औद्योगिक सामान की चोरी के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी से 75 किलो वजनी एक क्रेन चक्का जब्त किया गया है जिसकी कीमत लगभग 20 हजार रुपये है। मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

घटना की जानकारी 21 मार्च को सामने आई जब प्लांट के सुरक्षा प्रभारी समर बहादुर ने पूंजीपथरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 20-21 मार्च की रात चार युवक प्लांट की सीमा में घुसकर वहां रखे तीन क्रेन चक्के और दो पंखा मोटर को मोटरसाइकिल में लादकर चोरी कर ले गए। शिकायत पर तत्काल थाना पूंजीपथरा में अपराध क्रमांक 63/2025 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305(E), और 3(5) बीएनएस के तहत जांच शुरू की गई।

पुलिस टीम ने घटनास्थल की जांच के दौरान प्लांट के गार्ड से पूछताछ की, जिसमें एक युवक की पहचान हुई। इसके बाद संदेही और उसके साथियों की तलाश तेज कर दी गई। थाना प्रभारी राकेश मिश्रा द्वारा विशेष मुखबिर तैनात किए गए। आज मिली गोपनीय सूचना के आधार पर संदेही लक्ष्मीकांत राठिया पिता भगवानो राठिया (उम्र 20 वर्ष), निवासी ग्राम सराईपाली, हाल निवासी ग्राम तुमीडीह को पकड़ा गया।

पूछताछ में लक्ष्मीकांत ने चोरी की वारदात में तीन अन्य साथियों के साथ शामिल होना स्वीकार किया। उसके कब्जे से एक नग भारी केन चक्का बरामद किया गया, जो घटना के समय चोरी गया था। आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई उपरांत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

थाना पूंजीपथरा पुलिस अब आरोपी के अन्य तीन फरार साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मामले में आगे की जांच जारी है।

रायगढ़ में 169 पटवारियों का हुआ एक साथ ट्रांसफर

- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर सभी अनुभाग में जारी हुए आदेश
- 9 अप्रैल को ट्रांसफर आदेश जारी कर किया गया तत्काल रिलीव, 11 अप्रैल को नए प्रभार वाले हल्कों में ज्वाइनिंग के निर्देश
- व्यापक फेरबदल में पटवारियों के बदले तहसील और हल्के

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर रायगढ़ में पटवारियों के बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। सभी एसडीएम ने अपने तहसीलों में पटवारियों के प्रभार में फेर बदल किया है। 9 अप्रैल को यह स्थानांतरण आदेश जारी कर सभी स्थानांतरित पटवारियों को रिलीव कर सभी को 11 अप्रैल को अपने नए प्रभार में ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस फेरबदल में सबसे अधिक 70 पटवारियों का ट्रांसफर रायगढ़ अनुभाग अंतर्गत किया गया है। वहीं खरसिया में 24, लैलूंगा में 25, धरमजयगढ़ में 14 और घरघोड़ा में 36 पटवारियों का ट्रांसफर किया गया है।

इस संबंध में भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला रायगढ़ में राजस्व प्रशासन के उत्कृष्ठ संचालन तथा प्रशासनिक काम-काज की बेहतरी की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व प्रशासन में पटवारियों के व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किये गये हैं। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में कुल 169 पटवारियों को उनके पदस्थापना स्थल वाली तहसील से भिन्न तहसीलों तथा पटवारी हल्कों में पदस्थापित किया गया है। जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ द्वारा 70 पटवारियों को, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) खरसिया द्वारा 24 पटवारियों को, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लैलूंगा द्वारा 25 पटवारियों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धरमजयगढ़ द्वारा 14 पटवारियों को एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) घरघोड़ा द्वारा 36 पटवारियों को दिनांक 09 अप्रैल 2025 को उनके वर्तमान कार्य स्थल से हटाकर नवीन कार्य स्थल पर कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। समस्त पटवारियों को अपने नवीन कार्य स्थल पर 11 अप्रैल 2025 को अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर कार्य प्रभार ग्रहण करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त स्थानांतरण से जिले के राजस्व प्रशासन में एक नवीन गतिशीलता स्थापित होगी तथा लोक हित के कार्य और अधिक प्रभावी तथा कुशलतापूर्ण ढंग से संपादित किये जा सकेंगे।

फर्जीवाड़ा करने वाला जालसाज गिरफ्तार

सरपंच के सील मुहर, बैंक खाते और दस्तावेजों का कर रहा था धोखाधड़ी में इस्तेमाल

- जूटमिल पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन पर जूटमिल पुलिस और साइबर सेल ने एक ऐसे ठग को गिरफ्तार किया है जो अपने परिचितों को झांसे में लेकर उनके दस्तावेज के आधार पर बैंक खाता और सिम कार्ड खुलवाता था तथा उसके बाद संबंधित किट— पासबुक, चेकबुक, एटीएम और मोबाइल सिम अपने पास रखकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे धोखाधड़ी करता था। आरोपी ने अपने गांव के सरपंच की सील और हस्ताक्षर की भी नकल कर खुद की फर्जी कंपनियों के नाम पर दस्तावेज तैयार किए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

शिकायतकर्ता बाबूलाल यादव (31 वर्ष) निवासी छिन्द, थाना सारंगढ़ ने बताया कि वह रायगढ़ के सोनूमुड़ा क्षेत्र में किराये के मकान में रहकर कार्य करता है। वहीं उसके परिचित खीरसागर श्रीवास के माध्यम से राहुल साहू नामक युवक से हुआ, जो खुद को शासकीय ठेकेदारी से जुड़ा बताकर बैंक खाते और सिम कार्ड की आवश्यकता बताता था। राहुल ने झांसा दिया कि सरकारी भुगतान के लेन-देन में यह काम आएगा और खाता धारक को भी कमीशन मिलेगा, साथ ही सिविल स्कोर भी बेहतर होगा। बाबूलाल ने इस लालच में आकर उसे अपने दस्तावेज सौंप दिए और रायगढ़ की IDBI बैंक और ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खुलवाया। खाते की पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड राहुल अपने पास रख लिया।

इसी तरह आरोपी ने बाबूलाल के मित्र खीरसागर श्रीवास, ग्राम साल्हे के सोनू साहू और राकेश मजूमदार से भी बैंक खाते खुलवाकर उनके दस्तावेजों का उपयोग किया। जांच में पता चला कि राहुल साहू ने अपने गांव के सरपंच के नाम से फर्जी मुहर तैयार कर स्वयं हस्ताक्षर करवा कर फर्जी कंपनियों—गणेश ट्रांसपोर्ट, हरि जनरल स्टोर और राकेश ट्रेडर्स — के नाम से दस्तावेज बनाए थे। जब पीड़ितों को इस फर्जीवाड़े की जानकारी लगी तो उन्होंने तत्काल जूटमिल थाना में शिकायत दी।

प्रार्थी बाबूलाल यादव के आवेदन पर जूटमिल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 122/2025 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की।

थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव, उपनिरीक्षक भागीरथी चौधरी तथा साइबर सेल टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी राहुल साहू (24 वर्ष), निवासी भेड़ीकोना, थाना मालखरौदा जिला सक्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया और उसके मेमोरेण्डम पर दो मोबाइल, एटीएम कार्ड और पासबुक जप्त की गई।

पुलिस की नागरिकों से अपील

पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के झांसे में आकर अपने दस्तावेज, आधार, पैन कार्ड, मोबाइल सिम, या बैंक खाता संबंधित जानकारी किसी को भी न सौंपें। यदि आपका नाम किसी फर्जीवाड़े में उपयोग हुआ, तो आप भी आपराधिक मामले में फंस सकते हैं। बैंक खाता खोलवाना या किसी अन्य व्यक्ति के लिए दस्तावेज देना अपराध में भागीदारी बन सकता है। कोई भी शंका हो तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर सेल को सूचित करें। जागरूक रहें, सतर्क रहें — क्योंकि सतर्कता ही साइबर और आर्थिक अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है।

वाटरशेड यात्रा से गांव-गांव तक पहुंचा जल संरक्षण का संदेश

रायगढ़

जिला रायगढ़ के विकासखण्ड में संचालित परियोजना डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0/1 के ग्राम टेरम में आयोजित वाटरशेड यात्रा आउटरिच अभियान में जलग्रहण समिति के अध्यक्ष, परियोजना अधिकारी एवं डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाय 2.0 के समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रभात फेरी, जल-शपथ, पानी की पाठशाला, श्रम दान के अतिरिक्त पौधरोपण, के.व्ही.के.के वैज्ञानिक द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण हेतु जानकारी दी गई। जनप्रतिनिधि (सरपंच, जनपद सदस्य)द्वारा जल ग्रहण के महत्व के बारे में वक्तव्य दिया गया एवं ग्रीष्मकालीन धान के स्थान पर फसल चक्र, परिवर्तन करने पर बल दिया गया एवं शपथ लिया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के तौर पर रंगोली प्रतियोगिता, कविता पाठ और समूह नृत्य प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस प्रकार रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ राज्य के वाटरशेड यात्रा आउटरिच अभियान का समापन किया गया।

ग्राम कोठीकुंडा में जोबी पुलिस की छापेमार कार्यवाई, अवैध शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, गया जेल

रायगढ़

जिले के खरसिया अनुविभाग में नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में चल रहे अभियान के तहत आज जोबी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चौकी जोबी की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोठीकुंडा में छापा मारते हुए एक बार फिर अवैध शराब निर्माण और बिक्री करते पाए गए करम सिंह राठिया को गिरफ्तार किया है।

करम सिंह पूर्व में भी अवैध शराब के प्रकरण में चालान हो चुका है, इसके बावजूद वह पुनः अपने घर में हाथ भट्ठी से महुआ शराब बनाकर बेच रहा था। इस सूचना पर सहायक उप निरीक्षक एल.एन. राठौर के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक दशरथ लाल सिदार, आरक्षक सुरेंद्र बंशी, अश्वनी सिदार और इतवारी कंवर की टीम ग्राम कोठीकुंडा पहुंची। मौके पर दबिश देकर आरोपी के घर से 6 लीटर महुआ शराब, 60 रुपये बिक्री रकम, शराब निर्माण में प्रयुक्त 20 लीटर क्षमता वाला सिल्वर बर्तन, 15 लीटर की कड़ाही, मॉडिफाइड बर्तन और दो शराब गंधयुक्त स्टील गिलास जब्त किए गए।

पुलिस ने मौके से बरामद सामग्री को विधिवत ज़ब्त करते हुए करम सिंह राठिया (46 वर्ष) निवासी कोठीकुंडा के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर खरसिया न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया।

चौकी जोबी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में नशा और अवैध कारोबार पर निगरानी लगातार जारी रहेगी और ऐसे तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जनता से भी अपील की है कि वे अपने आसपास यदि किसी प्रकार का अवैध नशे का कारोबार देखें तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।

रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में होंठ के कैंसर का हुआ सफल इलाज

- ईएनटी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सुमित्रा महंत का सफल इलाज कर लौटाई उसकी मुस्कान

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के विकास के लिए कृतसंकल्पित हैं। तरक्की और सुशासन का ये सफर स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के रूप में भी नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार और नई सुविधाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। इसी दिशा में स्व.श्री लखीराम अग्रवाल स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध संत बाबा गुरु घासीदास जी स्मृति शासकीय चिकित्सालय रायगढ़ लगातार अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत् है और मरीज के बेहतर इलाज के लिए प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में कान, नाक, गला विभाग द्वारा सुमित्रा महंत का सफल ऑपरेशन अधिष्ठाता डॉ.विनीत जैन एवं अस्पताल अधीक्षक डॉ.मनोज कुमार मिंज के मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक किया गया।

मरीज सुमित्रा महंत उम्र 44 वर्ष, बिलाईगढ़, सिदवा जिला चांपा की रहने वाली है। विगत 6 माह से वे होठो में बढ़ती गठान से परेशान थी, उसका चेहरा विकृत हो रहा था और वह कहीं आने-जाने में हीनता महसूस करती थी। धीरे-धीरे उसे बात करने और खाने में भी असुविधा होने लगी उसने आस पास के सभी प्रकार के डॉक्टरों को दिखाया इलाज कराया पर कहीं राहत नहीं मिली बल्कि तकलीफ बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें पता चला कि इसका इलाज मेडिकल कॉलेज रायगढ़ के कान नाक गला विभाग में हो सकता है।

सुमित्रा महंत रायगढ़ मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डॉक्टरों के समक्ष अपनी परेशानी बतायी। विशेषज्ञ चिकित्सक, डॉ जया, डॉ.दिनेश, डॉ नीलम ने उनकी जाँच की और उन्हे कैंसर होना बताया गया। जिसे सुनकर सुमित्रा आशंकित एवं भयभीत हो गई। विशेषज्ञ ने उन्हे बताया इसका इलाज यहाँ संभव है वह भी सरकारी हॉस्पिटल में, उनकी शंका और झिझक को दूर किया गया और उन्होंने अपने ऑपरेशन की सहमति दी। ईएनटी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा सुमित्रा महंत का सफल इलाज कर उसकी मुस्कान लौटा दी। अंतत: रोगी पूर्णत: स्वस्थ हैं उन्हें डिस्चार्ज किया गया।

डॉ दिनेश पटेल, विशेषज्ञ सर्जन एवं सहप्राध्यापक ईएनटी ने बताया कि मरीज को होठ का कैंसर था, यह सिर के कैंसर का एक प्रकार है जिसमे होंठ विकृत हो जाते है और मरीज को मुस्कुराने, बात करने, खाने में कठिनाई होती है इसमें विकृत हिस्सा निकाल दिया जाता है और आसपास के ऊतको से चेहरा दोबारा बनाया जाता है यह चेहरे के प्लास्टिक सर्जरी है यह पहले बड़े जगह पर ही संभव था। इस ऑपरेशन में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्च होता है। जो यहाँ आयुष्मान योजना के तहत नि:शुल्क इलाज हुआ। मरीज को किसी भी तरह का कोई रुपए देना नहीं पड़ा।

कान, नाक, गला रोग विभाग की सर्जन टीम में विभागाध्यक्ष डॉ जया साहू, डॉ दिनेश पटेल सहप्राध्यापक, डॉ नीलम नायक सहायक प्राध्यापक, डॉ आयुषी सिंह, डॉ अनिता कुमारी, डॉ स्वाति पवार, डॉ रमेश पटेल, डॉ भावेश साहू, डॉ ख़ुशबू पटेल, डॉ तरुण शर्मा, डॉ निहारिका अम्बस्ट एवं निश्चेतना विभाग टीम के विभागाध्यक्ष डॉ.ए.एम लकड़ा के विशेष सहयोग द्वारा जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480